सहारा 25 रजत जयंती वर्ष 1991-2016

फाई पर जोर

बजट के मुख्य बिन्दु

■ आय अर्जित करने के लिए क्या हैं योजनाएं

फिल्म निर्माता महमूद

फर्मो से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जिनके पास :—

प्रदेश (जहां फर्म स्थित है) के औषधि नियंत्रक/लाइसेसिंग एथार्टी द्वारा कोटेड आइटम हेतु निर्गत किया गया वैध निर्माण लाइसेंस हो।

निविदा में भाग लेने हेतु संशोधित "शिड्यूल एम" के अन्तर्गत समस्त यूनिट के लिए निविदादाता के पास जी0एम0पी0/डब्लू0एच0ओ0 जी0एम0पी0 एवं जी0एल0पी0 प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है।

पिछले 03 वर्षो में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कोटेड औषधि के उत्पादन एवं विक्रय के अनुभव का प्रमाण-पत्र जो उस राज्य की जहाँ फर्म स्थित है के औषधि नियंत्रक/लाइसेंसिंग एथारिटी द्वारा जारी किया होना चाहिए।

आपूर्तिकर्ता फर्म के लिए विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष में कुल टर्न ओवर कम से कम रू0 01 करोड़ होना अनिवार्य है।

औषधियों के लिए निविदा में भाग लेने वाली निर्माता फर्मो को उस राज्य के औषधि नियंत्रक से जहां उक्त फर्म स्थित है एक प्रमाण पत्र इस आशय का देना होगा कि उक्त फर्म औषधियों का उत्पादन फार्म फिल एवं सील्ड (एफ0एफ0एस0) तकनीक द्वारा करते है।

निविदा में सारी प्रविष्टियाँ टंकण द्वारा भरी जानी चाहिए।

वित्तीय भाव-पत्र में दर केवल पैकिंग के अनुसार होनी चाहिए, जैसा कि निविदा में मांगा गया है। प्रत्येक नग के लिये अलग भाव प्रपत्र बनायें।

निविदादाता निर्माता फर्म जिस राज्य में स्थित है उसके अनुसार शुद्ध दर एक्साइज ड्यूटी अलग-अलग भरी जानी चाहिए।

औषधियों का नमूना और आपूर्ति/मांग के अनुसार एक ही तरह का होना चाहिए।

0. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा निविदा में प्रस्तावित औषधियों की मात्रा का कम से कम दोगुनी मात्रा के उत्पादन की क्षमता पिछले तीन वर्षो में हो; इसका उपरोक्तानुसार ड्रग कन्ट्रोलर द्वारा प्रदत्त प्रमाणिक अभिलेख देना होगा।

1. निविदा में कोटेड दरें (एल0-1) ई0एस0आई0, डी0पी0सी0ओ0, डी0जी0एस0 एण्ड डी0, होल सेल व बाजार भाव से अधिक न हो तथा फर्म द्वारा कोटेड दर से कम दर पर कोटेड आइटम की प्रदेश में कहीं भी आपूर्ति न की गयी हो/की जा रही हो, फर्म द्वारा कोटेड आइटम कही भी स्पूरीयस/अधोमानक विगत तीन वर्षो में नही पाया गया है, का शपथ पत्र रू0 100/- के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. दर अनुबन्ध के अर्न्तगत अनुबन्धित औषधियों की आपूर्ति जनपद स्तर तक बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के पहुँचाना होगा।

3. निविदादाता फर्मो को प्रदेश मे औषधियों की आपूर्ति डिपो के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य होगा, अतएव फर्मो को निविदा प्रपत्र के साथ वैध डिपो लाइसेंस का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. फर्म को इस आशय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह श्यामसूचित नही है तथा उसके विरुद्ध कोई भी वाद मा0 न्यायालय/विजिलेंस/सी0बी0आई0 में विगत तीन वर्षो से लम्बित न हो, का प्रमाण-पत्र, साथ ही निविदा में जो भी प्रपत्र दिये गये है वे सभी सही है फर्जी/गलत पाये जाने पर अथवा गलत जानकारी देने पर फर्म/शपथी जिम्मेदार होगा।(वाद का अर्थ है कि नियमों के अन्तर्गत फर्म/बोर्ड आफ डायरेक्टर/डायरेक्टर्स/प्रिंसिपल स्टाक होल्डर्स के विरुद्ध अपराधिक वाद।)

5. विभाग में निविदादाता फर्मो के पंजीकरण हेतु न्यूनतम रुपया एक करोड़ के टर्न ओवर के साथ पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकरण शुल्क रुपया सात हजार तथा नवीनीकरण शुल्क रुपया पाँच हजार प्रति तीन वर्ष के पश्चात किया जायेगा।

6. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट:-www.uphealth.up.nic.in and www.upgov.nic.in पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे निविदादाता फर्म दिनांक 22.01.2016 से 16.02.2016 तक वेबसाइट से, डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र की फीस रु0 1150/-(रुपया एक हजार एक सौ पचास मात्र) जो वापस नहीं होगा, का बैंक ड्राफ्ट, जो निदेशक(भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में लखनऊ में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में देना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा स्वीकार्य नही की जायेगी।

समस्त निविदायें दिनांक 17.02.2016 को अपरान्ह 02.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार की जायेगी, जो उसी दिन 03.00 बजे यदि आवश्यक हुआ तो उसके बाद के दिवस में ऐसे निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि जो उपस्थित रहना चाहे, के समक्ष खोली [illegible]। पोस्टल बिलम्ब की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी तथा बिलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

समस्त निविदादाताओं को अपने कोटेड आइटम एवं पैकिंग के लैक सील बन्द पांच-पांच नमूने जो वापस नहीं किये जायेंगे दिनांक 16.01.2016 [illegible]परान्ह 12.00 बजे तक केन्द्रीय औषधि भण्डार अनुभाग में जमा करना अनिवार्य है, विलम्ब से प्रेषित नमूने स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा जिन फर्मो [illegible]मूने प्राप्त नहीं हुये हैं उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा जमा किये गये नमूने वापस नही किये जायेंगे।

निविदादाता अपनी निविदा एक लिफाफे में जिस पर निविदा संख्या, दिनांक व फर्म का नाम पूरा पता सहित अंकित करते हुये विधिवत सील करके प्रस्तुत करें, जिसके अन्दर पांच लिफाफे होंगे, दो लिफाफा तकनीकी भाव-पत्र (मूल एवं द्वितीय प्रति) तथा दो लिफाफे वित्तीय भाव-पत्र (मूल द्वितीय प्रति) का होगा। वित्तीय भाव-पत्र के लिफाफे पर वित्तीय भाव-पत्र तथा तकनीकी भाव-पत्र के लिफाफों पर तकनीकी भाव-पत्र लिखा होना [illegible]। दरों की सापट कापी सी0डी0 में व अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हार्डकापी शील बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा। एक लिफाफा जिस

तमाम फेडरेशनों एवं उत्तर रेलवे मजदूर यूनियनों से जुड़े कर्मचारी व नेता शा[...] प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए यूआरएमयू के महामंत्री वीसी शर्मा ने 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में रेलवे एवं केन्द्रीय कामगारों के साथ घोर अन्य[...] गया है, जिसके कारण रेल कामगारों में भारी गुस्सा है। एनएफआईआर के एसएन मलिक ने भी प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। यूआरएमयू के स[...]भट्ट ने रेलवे में एफडीआई, ठेकेदारी प्रथा बंद किये जाने की मांग की।

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

JUBILANT FoodWorks CIN: L74899UP1995PLC043677

पंजीकृत कार्यालयः बी-214, फेज़-2 जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा – 201305 (उ.प्र.)

दूरभाष: +91-120-4090500, फैक्स: +91-120-4090599

ई-मेलः investor@jublfood.com

वेबसाइट: www.jubilantfoodworks.com

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 ("एलओडीआर"), के अधिनियम 47 के प्रावधानों के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि एलओडीआर के अधिनियम 33 के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक वृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2016, को 31 दिसम्बर, 2015 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अनअंकेक्षित एकल वित्तीय विवरण पर विचार तथा स्वीकृति हेतु आयोजित की जाएगी। उपरोक्त निर्देशन कंपनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

हस्ता/-

दिनांक : 22 जनवरी, 2016 — मोना अग्रवाल

स्थान : नोएडा (उ.प्र.) — कम्पनी सचिव

दक्षिणांचल विद्युत

नाल्को के पूर्व चेय[...] व उनकी पत्नी [...] खिलाफ आरोप [...]

नई दिल्ली (एसए[...]) नेशनल एल्युमीनियम [...] (नाल्को) के पूर्व चेयरमैन [...] निदेशक अभय कुमार श्री[...] उनकी पत्नी आदि के खिल[...] विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार [...] कानून के तहत आरोप तय क[...]

विशेष जज विनोद [...] आईपीसी की धारा [...] (आपराधिक साजिश) तथा [...] रोधक कानून के तहत आ[...] किए। श्रीवास्तव भ्रष्टाचार [...] अधिनियम के तहत इस [...] अपराध को आरोपित कि[...] जबकि उनकी पत्नी [...] श्रीवास्तव पर भादसं की ध[...] (अपराध में साथ देने प[...]